



## भरोसा जीतना होगा

पिछले करीब डेढ़ साल से हिंसा की कभी तेज तो कभी धीमी होती आंच में जलते मणिपुर को राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। जिरीबाम में पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं ने एक बार फिर राज्य में तनाव काफी बढ़ा दिया है।

अतिरिक्त बलों की तैनाती रु इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने हालांकि तत्काल केंद्रीय सशस्त्र बलों (बीच) की 20 अतिरिक्त कंपनियां हवाई मार्ग से भेज दीं। लेकिन राज्य में भारी संख्या में सुरक्षा बल पहले से तैनात हैं। वहां बत्त की 115 कंपनियां और टैच की 84 कंपनियां तो हैं ही, इसके अलावा ३५७ और प्लॉन की भी कंपनियां तैनात हैं। राज्य पुलिस और सेना के जवान इसके अतिरिक्त हैं। जाहिर है, इन्हें बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद अगर हालात काबू में नहीं आ रहे तो मामला सिर्फ सुरक्षा बलों की संख्या का नहीं, कुछ और भी है।

कार्रवाई का असर नहीं रु अगर पिछले एक सप्ताह के घटनाक्रम पर गौर करें तो भी यह साफ हो जाता है कि प्रशासनिक कार्रवाईयों का वैसा असर नहीं दिख रहा जैसा कि होना चाहिए। हिंसा का ताजा दौर प्रदेश के जिरीबाम जिले में गुरुवार को एक 31 वर्षीय महिला की हत्या के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि मैतैर्स समुदाय के उग्रवादी संगठन से जुड़े लोग इसके पीछे थे। दो दिन बाद कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों ने विष्णुपुर जिले में किसानों के एक समूह पर हमला किया था, जिसमें 34 साल की एक महिला मारी गई। सोमवार को जिरीबाम में ही एक बत्त पोस्ट पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दस उग्रवादियों को मार गिराया। इसके बाद भी जिरीबाम के एक गांव से दो नागरिकों के शव बरामद हुए। यही नहीं एक मैतैर्स परिवार के छह सदस्य लापता बताए जा रहे हैं जिनके अगवा किए जाने का शक है।

पक्षपात का आरोप रु खास बात यह है कि अलग-अलग समुदायों के लोग सुरक्षा बलों के अलग-अलग हिस्सों पर पक्षपात का खुला आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह के सामुदायिक तनाव की स्थितियों में सुरक्षा बलों पर पक्षपात के आरोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का अविश्वास अमूमन तात्कालिक ही होता है। मणिपुर में पिछले साल मई से शुरू हुआ हिंसात्मक घटनाओं का सिलसिला न तो कभी पूरी तरह बंद हुआ और न ही माहौल सामान्य हो सका।

विश्वास जीतना होगा रु सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय आबादी का विश्वास हासिल करने का कोई विशेष प्रयास भी होता हुआ नहीं दिखा। हिंसा के इन्हें लंबे दौर की जिम्मेदारी तय करने की कोई कोशिश नहीं नजर आई। ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती और विभिन्न पक्षों में बातचीत के दावे फिलित होते नहीं दिख रहे। मणिपुर एक सीमावर्ती और खासा संवेदनशील राज्य है। इसलिए हालात को जल्द सामान्य करना जरूरी है।

## तलाक में गरिमा

तलाक से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया के दौरान पत्नी को 1.75 लाख रुपये महीना जुराया भवा दिया जाए। बेशक यह रकम पहली नजर में खासी बड़ी लगती है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि फैसला जिन आधारों पर दिया गया है, वे व्यक्ति की गिरामा को नए सिरे से रेखांकित करते हैं।

मसला एक ऐसे कपल का था जिसको 2008 में शादी हुई और 2019 में पति की ओर से तलाक की अर्जी दी गई। पति को पहली शादी से एक बेटा था, जिस शादी में कोई संतान नहीं हुई। दिलचस्प है कि फैसिली कोर्ट ने पति की आमदानी के तमाम स्तोतों का ब्योरा देखने के बाद अंतिम युजारा भवा 1.75 लाख रुपये मासिक की तय किया था जिसे हाईकोर्ट ने घटाकर 80,000 रुपये मासिक कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए एक फैसिली कोर्ट के फैसले को बहाल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान कई तरह के सवाल उठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को दी कि शादी के दौरान महिला जिस तरह की लाइफस्टाइल की आदी थी, वह बरकरार रहनी चाहिए। यह



## अपमान के विरुद्ध खामोश रहते ही हैं

रजनीश कपूर

सभी वरिष्ठ नागरिकों याद को शमाता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के कानून की जानकारी रखनी चाहिए ताकि अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अपमान के खण्डिक न्याय लेने के लिए कोर्ट भी या सकते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 भारत सरकार का एक अधिनियम है जो वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के खण्डिक न्याय-पोषण और देखभाल के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत ऐसे मामले प्रावधान हैं जहां बुजुर्गों की सुखा व देखभाल का ख्याल रखा गया है। अधीदुनिया पर विजय पाने वाला सिकंदर-ए-आजम जब अपने देश वापिस लौट रहा था तो उसका स्वास्थ्य इतना बिंगड़ा की वह मरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के स्थिति में पहुंच गया।

अपनी मृत्यु से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा की भी जानकारी रखनी चाहिए। उन तीन इच्छाओं में से एक इच्छा थी। ऐसी अर्थ में मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर रखे जाएं दृढ़ इससे लोग समझ सकेंगे कि जब देखभाल के लिए आवेदन कर सकता है।

अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असर्वत्त्व है, तो वह अपने बच्चों या रिश्वेदारों से भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या संरक्षण प्राप्त करने के बाद उसे उपेक्षित किसी जगह छोड़ देता है, तो उसे लौंग महीने तक की जेल हो सकती है। या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के बच्चे नहीं हैं, तो वह भी भी मैटेंस के लिए दावा कर सकता है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का इस्तेमाल रिश्वेदार कर रहा है, तो सम्पत्ति का इस्तेमाल करने वाले या उसके वारिस पर बुजुर्ग की देखभाल के लिए दावा किया जा सकता है। इतना सब कुछ होते हुए भी मैटेंस के लिए बुजुर्गों को नहीं होती है।

एरे दिन हमें यह देखने को मिलता है कि एकी बुजुर्ग को, पैसे और संपत्ति के लालच में उसी की संतान ने घर से बेघर किया दिया। ऐसा अक्सर उन परिस्थितियों में होता है कि जब बच्चों को सही संस्कार नहीं दिये जाते। ऐसा अक्सर तब भी होता है कि जब घर के बड़े-बुजुर्ग अपने मोह और स्नेह के चलते, अपने जीते-जी ही अपनी बच्चे-अचल संपत्ति के सभी उत्तराधि कार अपने बच्चों को दे देते हैं। जो संतान संस्कारी होती है वे बिना किसी लोमें या स्वार्थ के, अंतिम समय तक अपने माता-पिता की सेवा करते हैं।

परंतु ऐसी भी संतान होती है कि जिन्हें जैसे ही इस बात का पता चलता है कि माता-पिता ने उहौं अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, वैसे ही उनका अपने माता-पिता के प्रति व्यवहार बदलने लगता है। परंतु सभी वरिष्ठ

नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वे अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अपमान के खण्डिक न्याय लेने के लिए कोर्ट भी या सकते हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 भारत सरकार का एक अधिनियम है जो वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता के खण्डिक न्याय-पोषण और देखभाल के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत रेसे मामले प्रावधान हैं जहां बुजुर्गों की सुखा व देखभाल रखा गया है। अधीदुनिया पर विजय पाने वाला सिकंदर-ए-आजम जब अपने देश वापिस लौट रहा था तो उसका स्वास्थ्य इतना बिंगड़ा की वह मरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के स्थिति में पहुंच गया।

अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असर्वत्त्व है, तो वह अपने बच्चों या रिश्वेदारों से भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या संरक्षण प्राप्त करने के बाद उसे उपेक्षित किसी जगह छोड़ देता है, तो उसे लौंग महीने तक की जेल हो सकती है। या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के बच्चे नहीं हैं, तो वह भी भी मैटेंस के लिए दावा कर सकता है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का भी इक्सेमाल करने का बाद उसके बच्चे नहीं होते हैं।

अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असर्वत्त्व है, तो वह अपने बच्चों या रिश्वेदारों से भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या संरक्षण प्राप्त करने के बाद उसे उपेक्षित किसी जगह छोड़ देता है, तो उसे लौंग महीने तक की जेल हो सकती है। या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के बच्चे नहीं हैं, तो वह भी भी मैटेंस के लिए दावा कर सकता है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का भी इक्सेमाल करने का बाद उसके बच्चे नहीं होते हैं।

अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असर्वत्त्व है, तो वह अपने बच्चों या रिश्वेदारों से भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या संरक्षण



